पत्रांक–डी०डी०–1–विविध–07 / 50 / 2025–26(पार्ट–VI).....10547 (M)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद प्रभाकर,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक 6/11/26

विषयः– **कुर्सी क्षेत्रफल का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–08.10.2026 को अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में कुर्सी क्षेत्रफल से संबंधित बैठक में निम्नवत निर्णय लिये गयेः–

1. सभी कार्यपालक अभियंता अपने प्रमंडल के अधीन **पूर्व में स्वीकृत कुर्सी क्षेत्रफल (कुर्सी क्षेत्रफल रजिस्टर के अनुसार)** की विवरणी सूची अपने अधीक्षण अभियंता से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर मुख्य अभियंता के माध्यम से हॉर्ड एवं साफ्ट–कॉपी विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

क्रं० सं०	भवन प्रमंडल का नाम	भवन का नाम	कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	प्रशासी विभाग का नाम	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6

2. सभी कार्यपालक अभियंता कुर्सी क्षेत्रफल की सूची बनाने के पूर्व भवनों के कुर्सी क्षेत्रफल के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेगें। यदि आवश्यक हो तो भवनों का पुनः मापी करा लिया जाय। अधीक्षण अभियंता प्रतिहस्ताक्षर करने के पूर्व सूची की समीक्षा कर संतुष्ट हो लेगें।
3. **न्यायिक (आवासीय एवं गैर आवासीय) भवनों** तथा **गैर न्यायिक (आवासीय एवं गैर आवासीय) भवनों** का अलग–अलग विवरणी सूची अधीक्षण अभियंता से प्रतिहस्ताक्षर कराकर मुख्य अभियंता के अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायगा।
4. अन्य प्रशासी विभाग के नये भवनों को कुर्सी क्षेत्रफल में सम्मलित करने के लिए प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव द्वारा सचिव भवन निर्माण विभाग को इस आशय का लिखित अनुरोध पत्र आवश्यक होगा।

नये भवनों को जोड़ने का प्रस्ताव की विवरणी उपरोक्त विहित प्रपत्र में अलग से अधीक्षण अभियंता से प्रतिहस्ताक्षर कराकर उचित माध्यम द्वारा उपलब्ध कराया जाय।

5. किसी भी परिस्थिति में नये भवनों का उसके डी०एल०पी० (Defect Liability Period) पूर्ण होने के उपरान्त ही कुर्सी क्षेत्रफल में सम्मिलित करने का अनुरोध किया जाय। अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता इस संबंध में पुर्णतः संतुष्ट होकर ही प्रस्ताव अग्रसारित करेगें।

कार्य प्रमंडलों द्वारा कई विभागों के भवन का अनुरक्षण एवं मरम्मती का कार्य कराया जाता है। इन भवनों की विवरणी से संबंधित "**कुर्सी क्षेत्रफल रजिस्टर**" को प्रत्येक प्रमंडल में संधारित करना सुनिश्चित किया जाय। नव निर्मित भवनों के निर्माण एवं जर्जर भवनों को ध्वस्त करने के फलस्वरूप कुर्सी क्षेत्रफल में सक्षम प्रधिकार के अनुमोदन उपरान्त परिवर्तन किया जाता है। नये भवनों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन उपरान्त ही कुर्सी क्षेत्रफल रजिस्टर में शामिल किया जाय।

विश्वासभाजन

9.6.21.26

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव